राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 82/2014

1. रामजानकी बेवा घांसी लाल पुत्री सांवला जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल
2. दाखा बाई पुत्री सावंला पत्नि कल्याण जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया हाल मुकाम बिजोरा तहसील अंता

–वादीगण

बनाम

1. गोरधनी बाई पुत्री नाथ्या पत्नि छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया रोड बोहत
2. शान्ती बाई पुत्री नाथ्या पत्नि भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी मांगरोल
3. द्वारक्या बाई पुत्री नाथ्या पत्नि नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बारां
4. सूनी बाई पुत्री नाथ्या पत्नि बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोंटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री मोहम्मद रफीक कुरैशी

वकील प्रतिवादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांक: 20.06.2014

निर्णय दिनांक : 22.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हिंगोनिया तह0 मांगरोल जिला बारां की आराजी खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 स्थित है। जो वादग्रस्त है, वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी कम 1 ता 4 के खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का साबिक खसरा नं0 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बाद सेटलमेंट हाल खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 कायम किये गये। विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 4 की मां नाथी बेवा नाथ्या का कभी कब्जा नही रहा है। ग्राम हिंगोनिया के खसरा नं0 214 रकबा 24 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता सांवला पुत्र पन्ना व धूलीलाल पुत्र कल्याण, पन्नलाल पुत्र भैरूलाल जाति नाई निवासी हिंगोनिया को कीमतन आवंटन की गई थी जिसके संबंध में तहसील उपनिवेशन मांगरोल के द्वारा दिनांक 19.12.1967 को रसीद सख्या 000008 द्वारा 725 रूपये जैर चौथान विक्रय भूमि की राशि जमा करवायी गयी है। जमाबंदी संम्वत 2029–32 में खसरा नं0 214 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण के पिता सांवला पुत्र पन्ना कुम्हार का कब्जा बदस्तूर चले आना बतलाया गया है। ग्राम हिंगोनिया की साबिक खसरा नं0 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का

काश्त नही होने से उक्त आराजियात पर करीबन 60 वर्षो से वादीगण के पिता एवं वादीगण के अच्छे काश्त में चली आ रही होने के कारण नाथी बेवा नाथ्या जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया को अवैधानिक रूप से किये गये आवंटन को वादीगण नल एण्ड वोईड घोषित एवं विवादित आराजियात को वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपने खातेदारी में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम हिंगोनिया की साबिक खसरा नं0 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा का प्रतिवादीगण की माता नाथी बेवा नाथ्या के पक्ष में किये गये आवंटन को नल एण्ड वोईड घोषित किया जावें। हाल खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। तथा प्रतिवादी कम 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 भूमि पर वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.06.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से दिनांक 07.08.2015 तक कोई उपस्थित नही होने से प्रतिवादी कम 1 ता 4 के विरूद्ध दिनांक 07.08.2015 को एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2018 को प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लिहाज हुसेन ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी कम 5 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है दिनांक 22.06.2018 को उपस्थित है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस के आधार पर वादीगण कमशः रामजानकी बेवा घांसी लाल पुत्री सांवला जाति कुम्हार व दाखा बाई पुत्री सावंला पत्नि कल्याण जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ग्राम हिंगोनिया में स्थित आराजी खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 पर कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त आराजी ग्राम हिंगोनिया में स्थित आराजी खसरा नं0 406 रकबा 0.45 है0 के रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादी कम 1 ता 4 है। वादीगण के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादीगण किसी भी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनते है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी

क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोशणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल भार्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं एक खातेदार की विधिसंगत खातेदारी भूमि पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर जो वाद लाया है वह अविलम्ब राजहित एवं न्यायहित में खारिज योग्य है। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।